रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2014/ज्येष्ठ 26, 1936
No. 1272]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2014/JYAISTHA 26, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ. 1531(अ).—जबकि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड के गोवा से दिल्ली उड़ान प्रचालित करने वाले बोम्बार्डिएर क्यू 400 विमान वीटी-एसजीयू को खराब मौसम के कारण जयपुर मोड़ लिया गया तथा जयपुर हवाई अड्डे पर रनवे नहीं मिलने के कारण पुन: दिल्ली लाया गया, और वहां दिनांक 05.01.2014 को एक गम्भीर घटना हुई ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस गम्भीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना और भविष्य में ऐसी गम्भीर घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिश करना समयोचित है ।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त गम्भीर घटना की औपचारिक जांच कराई जाए ।

केन्द्रीय सरकार इस गम्भीर घटना की परिस्थितियों की जांच करने हेतु श्री आर एस पासी, उप-निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को शामिलकर एक जांच समिति नियुक्त करती है:

(i) श्री एन एस डागर, संयुक्त महाप्रबंधक (एटीएम), एएआईबी

(ii) कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगदा, प्रमुख, विमान सुरक्षा मैसर्स इंडिगो

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी ।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति इस आदेश के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15018/14/2014-डीजी]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

S.O. 1531(E).—Whereas, Bombardier Q400 aircraft VT-SGU of M/s. Spicejet Ltd. operating flight from Goa to Delhi, which was diverted to Jaipur due to bad weather and diverted back to Delhi due to non-availability of Runway at Jaipur, met with a Serious Incident at Delhi on 05.01.2014.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the cause and contributory factors leading to the serious incident and make recommendation to prevent recurrence of such incidents in future.

Now, in exercise of the powers conferred by the Rule 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said serious incident be conducted.

In pursuance of the aforementioned, the Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Sh. R. S. Passi, Deputy Director, AAIB with following members to inquire into the circumstances of the serious incident:

(i) Sh. N. S. Dagar, Joint GM (ATM), AAIB

(ii) Capt. Dhruv Rebbapragada, Chief of Flight Safety, M/s Indigo

The committee can also take the assistance of other experts/agencies whenever required for or during the course of conducting the enquiry.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee shall complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months of this Notification.

[No. AV. 15018/14/2014-DG]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.